



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082022-237805
CG-DL-E-01082022-237805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]
No. 382]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्, -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, राजस्थान के नीचे, क्रम संख्या 2 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2	आईआरसीएलएएसएस सिस्टम्स और सोलूशनस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर पंजीकरण सं. 22/एन/एफएसएसएआई/2014 सीइजी टावर, बी-11(जी), मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017	जैविक, रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(1) गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 15 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"15"	जन स्वस्थ प्रयोगशाला, सूरत पंजीकरण सं. 57/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2021 दूसरा तल, वेसु शहरी स्वास्थ्य केंद्र, वेसु दमकल केंद्र के सामने, वीआईपी मार्ग, वेसु, सूरत - 395007 गुजरात	रासायनिक".

(2) मध्य प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 1 और 2 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"1."	चोकसी लैबोरेट्रीज लिमिटेड, इंदौर पंजीकरण सं. 1/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2014 सर्वे सं. 9/1, बालाजी तुलसियाना औद्योगिक एस्टेट, कुमेदी, ऑफ एम्आर 10 टोल प्लाजा, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010	जैविक, रासायनिक
2.	केली-लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल पंजीकरण सं. 12/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2014 खसरा सं. 11/1/1/2/2, वार्ड सं. 79, लम्बाखेड़ा बैरसिया मार्ग भोपाल, मध्य प्रदेश - 462016	जैविक, रासायनिक";

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में, कर्नाटक के नीचे, क्रम संख्या 15 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"15"	यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु पंजीकरण सं. 76/एस/एफएसएसएआई/2021 एबी स्क्वायर, #617, पांचवा मैन, ओएमबीआर लेआउट, कस्तूरी नगर मैन रोड, बनाववाडी, बंगलुरु, कर्नाटक - 560043	जैविक, रासायनिक";

4. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में,

(1) सूचीबद्ध प्रविष्टियों में से "बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड" शब्दों को विलोपित माना जाएगा;

(2) छत्तीसगढ़ की प्रविष्टियों से पूर्व, सम्बंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
बिहार		
"1	संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना पंजीकरण सं. 23/ई/एफएसएसएआई/2022 अगमकुआं, पीओ गुलजारबाग, पटना, बिहार - 800007	रासायनिक";

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./206/2022-23]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

1. का.आ. संख्या 567 (ई), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
2. का.आ. संख्या 1595 (ई), दिनांक 15 मई, 2017;
3. का.आ. संख्या 1965 (ई), दिनांक 20 जून, 2017;
4. का.आ. संख्या 2316 (ई), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
5. का.आ. संख्या 3068 (ई), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
6. का.आ. संख्या 3279 (ई), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
7. का.आ. संख्या 4083 (ई), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
8. का.आ. संख्या 848 (ई), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
9. का.आ. संख्या 1516 (ई), दिनांक 28 मार्च, 2018;
10. का.आ. संख्या 2426 (ई), दिनांक 13 जून, 2018;
11. का.आ. संख्या 6207 (ई), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
12. का.आ. संख्या 1377 (ई), दिनांक 08 मार्च, 2019;
13. का.आ. संख्या 1722 (ई), दिनांक 08 मई, 2019;
14. का.आ. संख्या 2842 (ई), दिनांक 06 अगस्त, 2019;
15. का.आ. संख्या 3428 (ई), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
16. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
17. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
18. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;
19. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
20. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;

21. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
22. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
23. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;
24. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
25. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021;
26. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021;
27. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 जनवरी, 2022;
28. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 24 मार्च, 2022;
29. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 अप्रैल, 2022;
30. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 मई, 2022; और
31. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 07 जुलाई, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2022

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION, under *Rajasthan*, for serial number 2, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“2.	IRCLASS Systems and Solutions Private Limited, Jaipur Reg. No. 22/N/FSSAI/2014 CEG Tower, B-11(G), Malviya Industrial Area, Jaipur-302017	Biological Chemical.”;

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

(1) under *Gujarat*, for serial number 15, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"15.	Public Health Laboratory, Surat Reg. No. 57/W/FSSAI/2021 2 nd Floor, Vesu Urban Health Center, Opp. Vesu fire station, VIP Road, Vesu, Surat - 395007 Gujarat	Chemical.”;

(2) under *Madhya Pradesh*, for serial number 1 and 2, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"1.	Choksi Laboratories Limited, Indore Reg. No. 1/W/FSSAI/2014 Survey No. 9/1, Balaji Tulsiyana Industrial Estate, Kumedi, Off Mr 10 Toll Plaza, Indore, Madhya Pradesh-452010	Biological Chemical.
2.	Cali-Labs Private Limited, Bhopal Reg. No. 12/W/FSSAI/2014 Khasra No - 11/1/1/2/2, Ward No. 79, Lambakheda Bairasia Road Bhopal, Madhya Pradesh-462016	Biological Chemical.”;

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION, under *Karnataka*, for serial number 15, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"15.	Eureka Analytical Services Pvt. Ltd., Bengaluru Reg. No. 76/S/FSSAI/2021 AB Square, #617, 5th Main, OMBR Layout, Kasturi Nagar Main Road, Banaswadi, Bengaluru, Karnataka-560043	Biological Chemical.”

4. In 'D' related to EASTERN REGION,

(1) from the entries thereunder, the words “**Bihar, Chhattisgarh, Manipur, Meghalaya, Nagaland**” shall be omitted.;

(2) before the entry of *Chhattisgarh*, the following entries shall be inserted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
Bihar		
“1.	Combined Food and Drug Laboratory, Patna Reg. No. 23/E/FSSAI/2022 Agamkuan, PO Gulzarbagh, Patna, Bihar - 800007	Chemical.”

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./206/2022-23]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended *vide* :-

1. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
2. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
3. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
4. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017;
5. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017;
6. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017;
7. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017;
8. S.O. number 848(E) dated the 19th February, 2018;
9. S.O. number 1516 (E) dated the 28th March, 2018;
10. S.O. number 2426(E) dated the 13th June, 2018;
11. S.O. number 6207 (E) dated the 12th December, 2018;
12. S.O. number 1377(E) dated the 08th March, 2019;
13. S.O. number 1722 (E) dated the 08th May, 2019;
14. S.O. number 2842 (E) dated the 06th August, 2019;
15. S.O. number 3428 (E) dated the 18th September, 2019;
16. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 13th February, 2020;
17. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 23rd July, 2020;
18. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 04th December, 2020;
19. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 12th January, 2021;
20. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10th February, 2021;
21. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10th March, 2021;
22. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 02nd June, 2021;
23. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 25th June, 2021;
24. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 02nd September, 2021;

25. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 08th October, 2021;
26. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 27th October, 2021;
27. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31st January, 2022;
28. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 24th March, 2022;
29. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 29th April, 2022;
30. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31st May, 2022; and
31. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 7th July, 2022.